5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

189

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र. ..../ निग 2369-I-16 /..........

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री महेन्द्रलाल परधान पिता श्री भंगीलाल परधान
निवासी 2 सनकुही ग्राम देवरीकला तहसील कुण्डम जिला
जबलपुर।

श्री .... द्वारा आज 20.7.16 को प्रस्तुत

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. श्री रोहित सचदेवा पिता श्री ललित मोहन सचदेवा
निवासी 215 मढ़ाताल,तहसील व जिला जबलपुर ।

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **07/अ-21/2015-16** में पारित **अंतरिम**

आदेश दि. 20/06/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता महेन्द्रलाल परधान पिता श्री भंगीलाल परधान, निवासी निवासी 2 सनकुही ग्राम देवरीकला तहसील कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **सूपावारा नं.बं. 471** प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 131/3, 133/1, 140/1, 142 रकवा क्रमशः 0.46, 0.76, 0.38, 1.75हे. कुल रकवा 3. 35 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री रोहित सचदेवा पिता श्री ललित मोहन सचदेवा निवासी 215 मढ़ाताल, तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12/10/2015 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- प्रकरण में तहसीलदार कुण्डम द्वारा प्रकरण क्रमांक **02/अ-21/15-16** में प्रतिवेदन दि. 17/12/2015 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत 4.70 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST. M.P. Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

11 JUL 2016

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2369-एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-7-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 20-6-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक महेन्द्रलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें उसके द्वारा अनुरोध किया गया कि वह ग्राम सूपावारा नं.बं. 472 प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 131/3, रकबा 0.46, खसरा नं. 133/1 रकबा 0.76, खसरा नं. 140/1, रकबा 0.38 एवं खसरा नं. 142 रकबा 1.75 का भूमिस्वामी है उक्त भूमि के अतिरिक्त उसके पास ग्राम भड़री हल्का 41 में 4.70 हैक्टर भूमि और है । आवेदक द्वारा अनावेदक रोहित सचदेवा को ग्राम सूपावारा स्थित भूमि खसरा नंबर 131/3, रकबा 0.46, खसरा नंबर 133/1 रकबा 0.76, खसरा नं0 140/1 रकबा 0.38	

निग0 2369-I/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवं खसरा नंबर 142 रकबा 1.75 कुल रकबा 3.35 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनु0 अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु0 अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु0 अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को पुनः इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि वे वर्तमान गाइड लाइन वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन के आधार पर भूमि के मूल्य की गणना कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक का कहना है कि तहसीलदार ने सम्पूर्ण जांच कर प्रतिवेदन अनु0 अधिकारी को भेजा गया है । आवेदक द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष नियत पेशी को उपस्थित होकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया गया था कि वे वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन या उससे अधिक मूल्य प्राप्त होने के उपरांत ही भूमि का विक्रय करेंगे किंतु उनके निवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया और पुनः प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं । मेरे द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि शासकीय नही है तथा प्रस्तावित विक्रय में आवेदक पर कोई	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 2369-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, आवेदक के पास क्रय विपरीत असर नहीं पड़ेगा । प्रस्तावित विक्रयमें आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 4.70 हैक्टर भूमि शेष बचती है । जिलाध्यक्ष द्वारा 2016-17 की गाइड लाइन के आधार पर गणना करने के निर्देश दिए गए हैं । चूंकि आवेदक द्वारा अपने तर्को में यह बात कही गई है कि वे वर्तमान गाइड लाइन 2016-17 के अनुसार या उससे अधिक मूल्य प्राप्त होने पर ही भूमि का विक्रय करेंगे और क्रेतागण वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार मूल्य देने को सहमत हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन मंगाये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम सूपावारा नं.बं. 472 प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 131/3, रकबा 0.46 हैक्टर खसरा नं. 133/1 रकबा 0.76 है0 खसरा नंबर 140/1, रकबा 0.38 हैक्टर	

निग. - 2369. I/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

एवं खसरा नंबर 142 रकबा 1.75 हैक्टर कुल रकबा 3.35 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2– केतागण द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर